न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 59/2022 (उदयपुर डिक्री)

भैरूलाल पिता मेघराज जी ब्राहमण, निवासी पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. वेणीराम पिता बाबूलाल उर्फ बाबूराम जी कुम्हार, निवासी पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. वरदी शंकर पिता भग्गा जी जोशी, निवासी पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रोड़ी बाई पत्नी डालू जी गायरी, निवासी पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला सलुम्बर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 18.04.2022 प्र.सं. 09/2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री जसवंतसिंह राजपूत अभिभाषक रे.सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक 14–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा में आराजी नंबर 5613 रकबा 0.0950 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है एवं आराजी नंबर 5614 रकबा 0.0300

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर में वादी का 125/1076 वां हिस्सा होकर वादी इसी अनुसार काबिज है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से भूमि विकसित करने में परेशानी आती है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 18–04–2022 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–08–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री जसवंत सिंह राजपूत उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 10–02–2021 को अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु पेशी दिनांक 10–03–2021 नियत की गयी, किन्तु इसके बाद कोविड के कारण अदालती कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 23–03–2022 की पेशी दी गयी, किन्तु दिनांक 23–03–2022 को पत्रावली नहीं मिली तथा बताया कि पत्रावली मिलने पर पेशी की सूचना दी जायेगी, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 18–04–2022 को राजस्व कैम्प में रखकर एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 06–07–2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को होने की प्रकरण पर कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 10–02–2021 को अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु पेशी दिनांक 10–03–2021 नियत की गयी, किन्तु इसके बाद कोविड के कारण अदालती कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 23–03–2022 की पेशी दी गयी, किन्तु दिनांक 23–03–2022 को पत्रावली नहीं मिली तथा बताया कि पत्रावली मिलने पर पेशी की सूचना दी जायेगी, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 18–04–2022 को राजस्व कैम्प में रखकर एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10–02–2021 अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10–03–2021 नियत की गयी, इसके बाद लगातार तीन पेशियों पर कोविड के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा पेशियां पड़ती रही। इसके बाद दिनांक 03–11–2021 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 08–12–2021 नियत की गयी तथा उक्त दिनांक को आगामी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

पेशी दिनांक 23—03—2022 नियत की गयी, किन्तु इसके बाद बिना कोई पेशी दिये एवं बिना प्रतिवादीगण का जवाब लिये पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 18—04—2022 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उसका पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18—04—2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15—04—2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 14—02—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested